प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –142/2023

अनवान : –

1. हरीश चन्द्र पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जेठाराम पुत्र बुधराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. यज्ञदत्त पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. ललिता पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 10.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 42/42 की कुल 7.8430 है0 भूमि व खाता संख्या 41/41 की कुल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 222/230 की कुल 8.9790 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादीया संख्या 4 व 6 जो कि वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 व 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 42/42 के कुल खसरे 46 का कुल क्षेत्रफल 7.8430 है0 भूमि व खाता संख्या 41/41 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 222/230 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.9790 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 6 ने उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भरतसिंह बैनीवाल ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 का इकबाल व प्रतिवादी स0 2 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है प्रतिवादी स0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 के हक हिस्सा की भूमि है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति/जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 42/42 की कुल 7.8430 है0 भूमि व खाता संख्या 41/41 की कुल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 222/230 की कुल 8.9790 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की [illegible] पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा/जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 42/42 की कुल 7.8430 है0 भूमि व खाता संख्या 41/41 की कुल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 222/230 की कुल 8.9790 है0 उपरोक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/25 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –142 / 2023

अनवान : –

1. हरीश चन्द्र पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जेठाराम पुत्र बुधराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. यज्ञदत्त पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. ललिता पुत्री जेठाराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 142 सन 2023 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 42 / 42 की कुल 7.8430 है0 भूमि व खाता संख्या 41 / 41 की कुल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 222 / 230 की कुल 8.9790 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका